कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांकः 1194 / 14–1 दिनांक, एटा, दिसम्बर, 16, 2017

सेवा में,

महाप्रबन्धक सहपरियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
अलीगढ़।

विषयः एटा से अलीगढ़–कानपुर सैक्शन (एन0एच0–91) किमी0 186 229 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 940 वृक्ष व 858 पौध कुल 5798 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक 1518 / एटा / 22374 / 2016 दिनांक 04.12.2017

विषयगत प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा 1 से 11 तक आपत्तियाँ लगाई गई है जिनको पूर्ण करने के लिए आपके प्रतिनिधि श्री पीयूष सक्सैना से दिनांक 14.12.2017 को दूरभाष पर वार्ता करने के उपरान्त भी उक्त आपत्तियों के निस्तारण के लिए आपके प्रतिनिधि या आपके कार्यालय से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है जिससे लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आपसे सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण निम्नप्रकार हैः–

1. प्रस्तावित वन भूमि की गणना में विद्यमान R.O.W, विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना अंकित नहीं है। संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
2. परियोजना की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
3. प्रमाण–पत्र की रंगीन छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु के–1 (ए) पर अपलोड जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।
4. वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर रंगीन छायाप्रति संलग्न की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
5. प्रस्तावित स्थल की kml file प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
6. मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W, प्रस्तावित R.O.W, एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
7. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(xvii) में अपलोड पावर ऑफ अटार्नी में आवेदक का नाम अंकित कर व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

उक्त आपत्तियों का निस्तारण करने सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख विशेष पत्रवाहक के माध्यम से 3 दिन के अन्दर उपलब्ध करा देने की अपेक्षा है।

भवदीय,

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांकः / 14–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व उचित कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

O/c